मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:
14/09/15 19/09/20 5 वर्ष, 0 माह, 5 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या– 377/2015

विजय बहादुर रायकवार पुत्र स्वर्गीय श्री बरजोर सिंह रायकवार निवासी ढ़िमरपुरा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

––––––याची

प्रति

1. विनोद कुमार पुत्र मातादीन निवासी मोहल्ला गांधी नगर महोबा जिला महोबा
..... चालक बोलेरो नंबर जे.एच. 02 एस 2620
2. राजेंद्र पंडित पुत्र अनूप पंडित निवासी 495 फेरी पोस्ट गंगा पांचो थाना वर कटरा जिला हजारीबाग झारखंड पिन कोड 825323
.....मालिक बोलेरो नंबर जे.एच. 02 एस 2620

––––––––––विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार अग्रवाल

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में विजय बहादुर रायकवार आई चोटों के कारण ₹ 17,20,000/– क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनांक 15.12.2014 को अपनी मोटरसाइकिल नंबर एम.पी. 36 ई 0969 से अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह ग्राम सकरा रझांसी के अंतर्गत कॉलेज के सामने पहुंचा सामने से तभी बोलेरो नंबर जे.एच. 02 एस 2620 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर याची की साइड में घुसकर टक्कर मार दी। याची अपनी सही साइड पर था और जीप को अपनी ओर आता हुआ देखकर मोटरसाइकिल को कच्ची पटरी पर उतार लिया था। उपरोक्त टक्कर से याची गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सिर में गंभीर चोट, सिर में गहरा घाव, दाहिने हाथ में कॉलर बोन में फ्रैक्चर, दाहिने हाथ के पंजे में चोट, बाएं पैर के हिप ज्वाइंट पर चोट आई। चोटों की वजह से मेडिकल अस्पताल झांसी ले जाया गया जहां एक रात भर भर्ती रहकर सुबह हाइटेक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहां वह 10 दिन भर्ती रहा। भर्ती के दौरान उसका शंकर हॉस्पिटल में कॉलर बोन का ऑपरेशन हुआ और रॉड डाली गई और 1 माह का प्लास्टर लगाया गया और सिर में गंभीर चोट होने की वजह से 8 दिन बेहोश रहा। उसके दो सीटी स्कैन कराए गए। याददाश्त नष्ट हो गई थी। सिर का इलाज डॉक्टर एचपी राय ने किया। अभी इलाज जारी है। दावा में वर्णित खर्चा प्रार्थी का खर्चा हो गया और सिर में चोट की वजह से अभी भी पूर्ण रूप से उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है और भूलने की बीमारी हो गई है और भविष्य में डॉक्टरों का कहना है कि वह सामान्य जीवन नहीं गुजार पाएगा। घटना के पहले प्रार्थी अपनी 12 बीघा जमीन पर कृषि कार्य करता था और सब्जियों का उत्पादन करता था। वह गेहूं उगाता था एवं पांच भैंसें पाले हुए था जिससे वह दूध निकाल कर बेचा करता था जिससे ₹20,000 प्रतिमाह कमा लेता था। इलाज में उसकी भैंसें बिक गई हैं और सिर में और हाथ की चोट की वजह से स्वयं खेती नहीं कर पाता है और अब खेती किराए पर दे देता है। उक्त घटना की वजह से प्रार्थी को असीम मानसिक और शारीरिक कष्ट हुआ और बच्चे और

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.09.19 16:45:38 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

पत्नी के प्यार व स्नेह से काफी लंबे तक वंचित रहा। आज भी कहीं बाहर जाने में किसी व्यक्ति को साथ ले जाना पड़ता है। यह घटना बोलेरो चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई है। प्रार्थी की कोई लापरवाही नहीं है। घटना दिनांक को मोटरसाइकिल का बीमा नहीं था इसलिए इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। याची का यह प्रथम दावा है। भारत के किसी अन्य न्यायालय में और कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. विपक्षी पर तामीला पर्याप्त होने के बावजूद विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई प्रारंभ की गई।

6. याची की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. याची द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 12 सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आर.सी. व इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,
2. याची द्वारा फेहरिस्त 24 सी1 के माध्यम से 25 सी1/2 लगायत 37 सी1 प्रपत्र, जिनमें एफ आई आर, आरोप पत्र, नक्शा नजरी, यांत्रिक परीक्षण, हाईटेक हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर असल मुक्तिपत्र, शंकर multi–specialty हॉस्पिटल असल मुक्ति पत्र, डॉक्टर एमपी राय असल पर्चा, डॉ प्रवीण सरावगी का पर्चा असल, डॉक्टर के.आर. गुप्ता पर्चा असल, डॉक्टर अभिषेक नगायच पर्चा असल, सीटी स्कैन पर्चा असल, बीएचटी मेडिकल कॉलेज झांसी फोटो स्टेट 4 वर्क, असल बिल, बोलेरो का रजिस्ट्रेशन नंबर की छायाप्रति, डीएल विनोद कुमार की छाया प्रति शामिल हैं।
3. मौखिक साक्ष्य में याची ने स्वयं को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया है।

7. मैंने याची की ओर से वर्चुअल कोर्ट मे उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. याची पी.डब्लू. 1 ने अपने मौखिक साक्ष्य में न्यायाधिकरण के समक्ष शपथ पर याचिका के अभिकथनों का अच्छरशः समर्थन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन के विलंब से याची के भाई द्वारा दर्ज कराई गई है जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह कहा गया है कि याची के इलाज के कारण यह विलंब हुआ है। मेरे विचार से यह विलंब स्वीकार्य विलंब है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा – 20 और 21]*।

दुर्घटना कारी वाहन के चालक विनोद कुमार प्रस्तुत किया गया है जिससे वाहन चालक की तेजी व लापरवाही का समर्थन होता है। दुर्घटनाकारी वाहन की यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटनाकारी वाहन के सामने का शीशा, हेड लाइट, अगला बंपर, बाएं साइड का मडगार्ड क्षतिग्रस्त है जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटनाकारी वाहन ने ही दुर्घटना कारित की है। दुर्घटना की नक्शा नजरी से भी बोलेरो चालक की तेजी व लापरवाही स्पष्ट होती है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है–

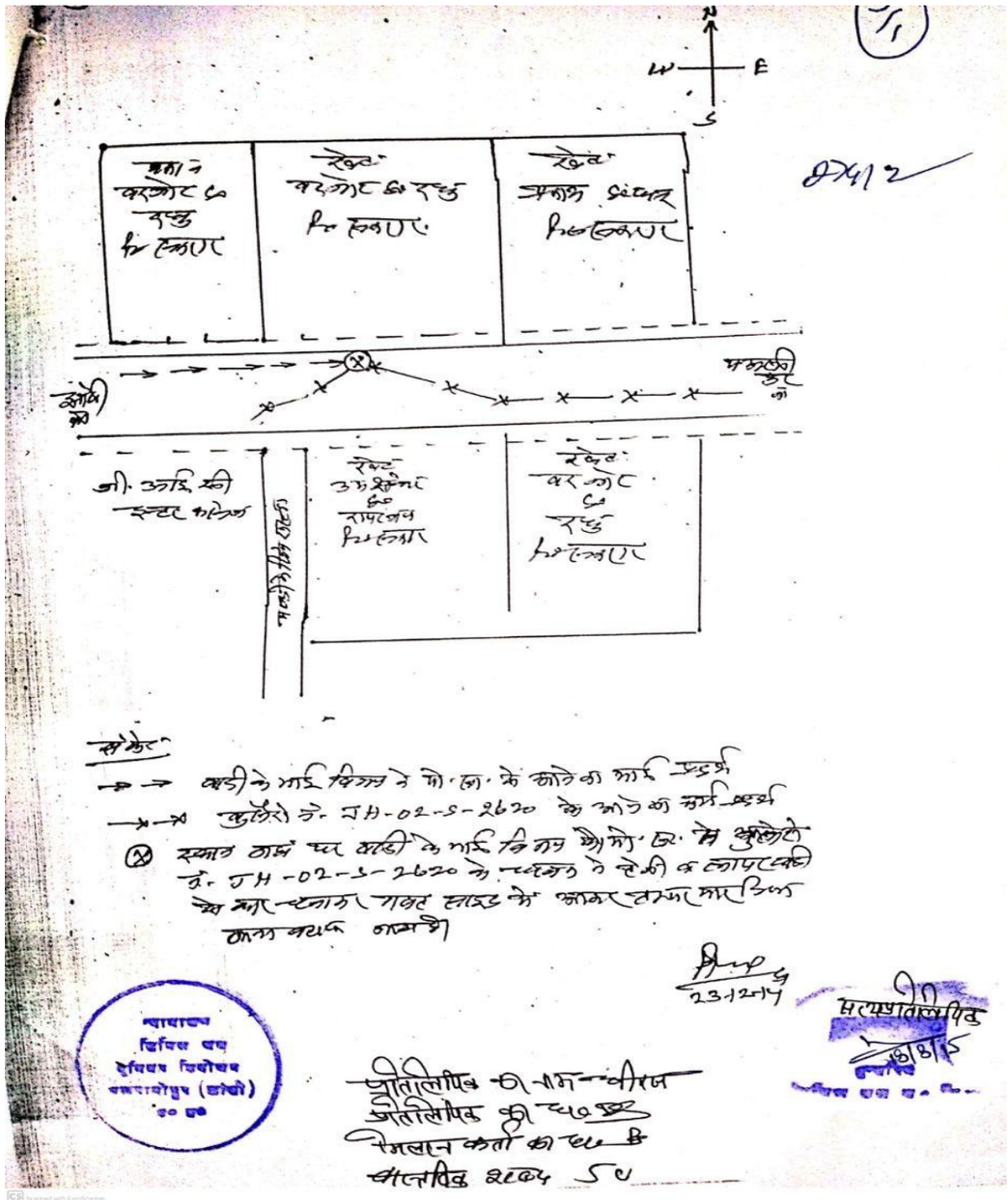

याची द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय पत्रों से यह स्पष्ट होता है उसे सड़क दुर्घटना में दाहिने क्लेविकल में फ्रैक्चर तथा सिर में चोटे आई हैं। उसका सीटी स्कैन किया गया है तथा लंबे अरसे तक इलाज चला है। याची की ओर से ₹86,289 के इलाज के बिल प्रस्तुत किए गए हैं। मेरे विचार से याची को गंभीर चोट के कारण मानसिक कष्ट के लिए याची को ₹10,000, सहायक के लिए ₹5,000, इलाज के लिए आवागमन के लिए ₹5,000, पुष्टाहार के लिए ₹5,000, 3 माह कार्य न कर पाने पर हुए नुकसान के लिए लम सम ₹15,000 क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित होगा। इस प्रकार याची को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल धनराशि ₹1,26,289 मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज याचिका दायर करने की तिथि से दिलाया जाना न्याय उचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक–प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 1,26,289/– (एक लाख छब्बीस हजार दौ सौ नवासी) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षीगण वे याची को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप मे क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर

वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) मे RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे। यह धनराशि नयायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जायेगी।

दिनॉक 19.09.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 19.09.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी